न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण सख्या 160 / 2022(2022 /   )

जगदीश पुत्र धूकल व अन्य

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी —— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–

1. **प्रार्थी स्वयं**
2. **पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी**

–:: आदेश ::– **दिनांक– 20.09.2022**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तहत पेश किया प्रार्थी का निवेदन संक्षेप मे निम्न प्रकार है कि

प्रार्थी आराजी ग्राम एकलसिंहा के खाता संख्या 26 व 36 में दर्ज खसरा नंबर 674/1085 व खसरा नंबर 674 रकबा 0.08 व .74 किस्म पेटा ता.1 दर्ज है जो गलत साविक जमाबंदी के अनुसार खसरा नंबर 70,71,72 कि किस्म बारानी सोयम के अनुसार हाल रिकार्ड में दुरस्त किया जाना है मिलान क्षेत्र साबिक खसरा नंबर 70/4 के नये 673, 71, 72 के नये 674, 70/4 के नये 674/1012 व 70/4 के नये 674/1085 बने सेटलमेंन्ट में खसरा नंबर 673, 674/1012 की किस्म बारानी–3 कर दि है परन्तु खसरा नंबर 674, 674/1085 कि किस्म पेटा ता.1 है जो गलत दर्ज है अतः पुरानी जमाबंदी के अनुसार हाल खसरा नंबर 674, 674/1085 कि किस्म पेटा ता.1 के स्थान पर बारानी–3 दर्ज करने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये तहसीलदार केकडी द्वारा जॉच हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार केकडी द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो निम्नानुसार हैः–

1. एकलसिंहा के हाल खसरा नंबर 674 रकबा 0.78 है किस्म पे.ता1 घीसा वल्द धूकला 1/8 जगदीश पुत्र धूवल 1/8 महावीर पुत्र धूकला 1/8 रामदयाल पुत्र लादू हिस्सा 1/2 शम्भु पुत्र धूकल 1/8 कौम ढोली व खसरा नंबर 674/1085 रकबा 0.08 पेटा ता.1 आशा पुत्री गोपाल 1/70 गोरल पुत्र कजोड 1/2 घीसा पुत्र धूकल 1/14 जगदीश पुत्र धूकल 1/14 नोरती पुत्री गोपाल 1/70 मुकेश पुत्र गोपाल 1/70 महावीर पुत्र धूकल 1/14 रामरतन पुत्र गोपाल 1/70 रामा पुत्री धूकल 1/14 विमला पुत्री धूकल 1/14 विष्णु पुत्री गोपाल 1/70 शम्भू पुत्र धूकल 1/14 कौम ढोली के नाम दर्ज रिकोर्ड है।
2. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 673 के पुराने 70/4, 674ी के 71 व 72, 674/1012 के 70/4, 674/1085 के 70/4 से बने है।
3. खतौनी एकीकरण की जमाबन्दी के अनुसार साबिक खसरा नंबर 70 रकबा 17–11–00 किस्म बारानी सोयम, व खसरा नंबर 71 रकबा 4–01 किस्म माल सोयम 72 रकबा 0–15–0 बारानी सोयम दर्ज है।
4. वरवक सेटलमेन्ट में खसरा नंबर 673/0.27 किस्म बारानी 3, 674/1012 रकबा 0.18 किस्म बारानी 3, खसरा नंबर 674/1085 रकबा 0.08 किस्म पेटा.ता1, खसरा संख्या 674

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.78 किस्म पेटा.ता.1 दर्ज की है जो कि खसरा नंबर 673, 674/1012 तो सही है परन्तु खसरा नंबर 674/1085 रकबा 0.08, 674/0.78 की किस्म बारानी 3 के स्थान पर पेटा ता.1 कर दी गयी है जो गलत है मौके पर उक्त खसरा नंबर में किसी प्रकार का भराव क्षेत्र तालाब आदि नही है अतः साबिक जमाबन्दी के अनुसार हाल जमाबन्दी में खसरा नंबर 674/1012, 674 किस्म पे.ता.1 के स्थान पर किस्म बारानी 3 दर्ज किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार केकडी से प्राप्त जॉच रिपोर्ट मय मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आराजी ग्राम एकलसिंगा के खाता संख्या नया–पुराना 26–5 के खसरा संख्या 674/1085 रकबा 0.08 व खाता संख्या नया–पुराना 36–13 के खसरा संख्या 674 रकबा 0.78हैक्टर की किस्म पेटा तालाब–1 के स्थान बारानी–3 दर्ज किया जावे। तहसीलदार केकडी उक्त खाते में दोनो खसरो की किस्म को इन्द्राज दुरस्त कि कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)